न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. — 17 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरपंच,ग्राम पंचायत तेजा की बेरी,पंचायत समिति सायला, तहसील सायला, जिला जालोर		1.विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला 2.गफुरखां पुत्र नूरेखां 3.मुसेखां पुत्र नूरेखां 4.जालमखां पुत्र नूरेखां 5.धन्नेखां पुत्र नूरेखा 6.कमला पत्नि हिन्दालखां, समस्त जातियान् सिंधी मुसलमान, निवासी तेजा की बेरी,तहसील सायला,जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला,दिनांक 16.8.2017
(क्रमांक / पं.स.सा. / पंचायत / 2017 / 1578–79)

उपस्थिति :–
1.श्री बसन्तकुमार ,अभिभाषक,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री प्रवीण सोलंकी,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1 की ओर से।
3.श्री सिकन्दर अली, अभिभाषक,अप्रार्थी सं.2 से 6 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 21.3.2018

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं.2 से 6 द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा नम्बर 376,377 पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य शुरू करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 4.5.2017 को प्रस्ताव सं.3 के वार्ड पंच श्री महबूबखां (उप सरपंच), उत्तमसिंह वार्ड पंच,सतारखां वार्ड पंच को मौका निरीक्षण करने हेतु कमेटी गठित की,उक्त कमेटी द्वारा मौका देखकर दिनांक 4.5.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5.5.2017 को अप्रार्थी सं.2 से 6 को अतिक्रमण हटाने हेतु

नोटिस दिया गया मगर अप्रार्थी सं.2से 6 द्वारा उक्त नोटिस लेने से इन्कार किया गया ,इस पर नोटिस मौके पर चस्पा किया जाकर मौतबिरान् के हस्ताक्षर करवाये गये। अप्रार्थी सं.2 से 6 द्वारा अतिक्रमण नही हटाये जाने पर दिनांक 25.5.2017को प्रस्ताव सं. 4 के जरिये अप्रार्थी सं.2 से 6 को अन्तिम नोटिस प्रेषित किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया मगर दिनांक 20.5.2017 को प्रेषित नोटिस भी अप्रार्थीगण द्वारा लेने से इन्कार किया जाने पर दिनांक 5.6.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 5 के जरिए अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 का अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस इमदाद लेकर दिनांक 10.6.2017 की तारीख अतिक्रमण हटाने की नियत की गयी तथा अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार सायला द्वारा दिनांक 21.7.2017 को पुलिस इमदाद हेतु आदेश पारित किया गया व दिनांक 24.7.2017 को अतिक्रमण हटाने हेतु तारीख नियत की गई मगर दिनांक 24.7.2017 को अतिवृष्टि होने की वजह से व पुलिस कर्मी अतिवृष्टि में लग जाने की वजह से इगदाद नही मिल सकी। आदेश दिनांक 21.7.2017 की अनुपालना में दिनांक 9.8.2017 को पुलिस इमदाद लेकर मौके पर जाने पर कुछ अतिक्रमण हटाने के पश्चात् मौके पर ज्यादा भीड हो जाने से तथा इमदाद हेतु पुलिस कम संख्या में होने से अतिक्रमण नही हटा सकें,उसके बाद पुलिस कर्मी स्वतंत्रता दिवस मनाने के कार्य में व्यस्त हो जाने से 15 अगस्त के बाद अतिक्रमण हटाने की तिथि नियत करने हेतु विचार किया गया, मगर विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला द्वारा दिनांक 16.8.2017 को अप्रार्थी सं.2 से 6 की बेआधार अपील की प्रार्थी को सूचना दिये बिना विकास अधिकारी, सायला द्वारा ग्राम पंचायत तेजा की बेरी का प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 5.6. 2017 को स्थगित कर दिया, इस हेतु प्रार्थी ग्राम पंचायत की ओर से यह पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। विकास अधिकारी,सायला द्वारा बिना शपथपत्र के अप्रार्थी सं.2 से 6 के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया है तथा बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण सं.2 से 6 की अपील स्वीकार की है। विकास अधिकारी,सायला द्वारा अपने स्वयं के आदेश दिनांक 12.4.2017 की अनदेखी की गयी है जिसमें विकास अधिकारी स्वयं ने उक्त आराजी के सीमांकन हेतु आदेश पारित किया था तथा दिनांक 27.6.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा विकास अधिकारी को उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस इमदाद भी चाही थी। विकास अधिकारी ,सायला द्वारा अपने आदेश में स्थगन आदेश को सम्पुष्ट करने के साथ साथ अप्रार्थी सं.2 से 6 की अपील को स्वीकार कर लिया है जो विधिक

दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अपीलाधीन आदेश पारित करने वाली संस्था को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपील स्वीकार कर लेना अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। विकास अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत होने पर जो प्रकिया अपनाई जाती है उसकी भी अनदेखी की है। अतः विकास अधिकारी ,पंचायत समिति सायला द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.8.2017 (कमांक / पं.स.सा. / पंचाययत / 2017 / 1578–79)निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी में फहरिस्त के साथ आदेश दिनांक 16.8.2017 व प्रस्ताव आदि की नकले पेश की, इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.2 से 6 के वकील ने दिनांक 22.1.2018 को जवाब पेश किया कि ग्राम पंचायत तेजा की बेरी ने राजनैतिक रंजिश रखते हुए प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 4.5.2017 व दिनांक 5.5.2017 को आदेश गलत रूप से दिये है तथा नोटिस अप्रार्थीगणों मकानों पर कभी भी कोई तामील कुनिन्दा लेकर नही आया। सूचना के अधिकार के तहत् अप्रार्थीगण ने नोटिसों की नकले मांगी गई थी जो नही दी गई थी तब अप्रार्थीगण ने विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला को उक्त नकले दिलवाने का प्रार्थनापत्र अपील के साथ पेश किया जिस पर दिनांक 4. 10.2017 को विकास अधिकारी सायला ने ग्राम पंचायत को नकले देने बाबत् लिखा फिर भी आज दिन तक नकले अप्रार्थीगण को ग्राम पंचायत तेजा की बेरी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई। ग्राम पंचायत तेजा की बेरी द्वारा गलत रूप से लिये गये प्रस्ताव सं.5 दिनांक 5.6.2017 को निरस्त करने व रोक लगाने की अपील प्रशासन व स्थापना स्थाई समिति के समक्ष पेश करने पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 5दिनांक 5.6.2017 की पालना स्थगित रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रिम आदेश तक कमांक / पं.सा.सा / पंचायत 2017 / 1578–79 दिनांक 16.8.2017 सही दिया गया है। अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध कानूनन पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय को पेश नही किया जा सकता।राजनैतिक द्वेष से अप्रार्थीगण के आबादी भूमि के निवास व निर्माण को हटाना चाहते है जबकि इस भूमि पर खुदरा विकेता अन्नपूर्णा की दुकान कोजेखां पुत्र अदरिमखां,निवासी तेजा की बेरी द्वारा लगवाने व लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु इस भूमि पर बने कमरों(दुकान)का अनापति अप्रार्थीगण का मालिकाना मानकर ग्राम पंचायत ने सन् 2016 में नक्शा लेने हेतु सरपंच, ग्राम पंवायत तेजा की बेरी ने दिनांक 6.10.2016 को अनापति प्रमाण पत्र जारी किया था जिसके तहत् विद्युत कनेक्शन

अप्रार्थी पुष्पखां के नाम से कनेक्शन डिमाण्ड राशि दिनांक 1.6.2017 को जमा कराकर विद्युत कनेक्शन लिया था । पंचायत समिति सायला ने प्रथम अपील का निर्णय करने पर द्वितिय अपील कानूनन करने का प्रावधान है जिससे यह रिवीजन प्रार्थनापत्र गलत रूप से पेश किया है जो काबिल खारिज है। ग्राम पंचायत इस प्रकरण से सबंधित अप्रार्थीगण का आबादी में पुराना कब्जा मानकर नक्शा प्रमाणित कर रही है तथा विद्युत कनेक्शन लेने का अनापति प्रमाण पत्र जारी कर रही है तथा दिनांक 20.4.2017 को हमारे पट्टे हेतु पत्रावलियां ग्राम पंचायत,तेजा की बेरी में पेश कर दी थी। राज्य सरकार द्वारा आदेशानुसार दिसम्बर 2016 के पहले के आबादी भूमि पर निर्माणों को नियमित करते हुए पट्टे जारी करने के परिपत्र जारी हुए है फिर भी पट्टे जारी करने की पत्रावलियां वापस गलत रूप से लौटाई है जो विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला को पट्टे जारी करने हेतु पेश की गई है। अतः प्रार्थी का यह पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व बताया कि अप्रार्थी सं. 2 से 6 द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा नम्बर 376,377 पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य शुरू करने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं.3 दिनांक 4.5.2017 के द्वारा तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु कमेटी गठित की। उक्त कमेटी द्वारा मौका देखकर दिनांक 4.5.2017को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5.5.2017को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया जो अप्रार्थीगण सं.2 से 6 ने लेने से इन्कार किया, इस पर नोटिस मौके पर चस्पा किया जाकर मौतबिरान् के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 20.5.2017 तक अतिक्रमण नही हटाये जाने पर प्रस्ताव सं.4 के जरिये अन्तिम नोटिस प्रेषित किये जाने हेतु आदेश पारित किया,दिनांक 20.5.17 को प्रेषित नोटिस भी लेने से अप्रार्थीगण ने इन्कार किया जाने पर दिनांक 5.6.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 5 के जरिए पुलिस इमदाद लेकर दिनांक 10.6.17 को अतिक्रमण हटाने की तारीख नियत की,अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार सायला द्वारा पुलिस इमदाद हेतु दिनांक 21.7.17 को आदेश पारित किया व दिनांक 24.7.17को अतिक्रमण हटाने हेतु तारीख नियत की मगर अतिवृष्टि होने की वजह से पुलिस इमदाद नही मिल सकी। आदेश दिनांक 21.7.17 की अनुपालना में दिनांक 9.8.17को पुलिस इमदाद लेकर मौके पर कुछ अतिक्रमण हटाने

के पश्चात् मौके पर ज्यादा भीड होने से व पुलिस कम संख्या में होने से अतिक्रमण नही हटा सके। दिनांक 16.8.17 को अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 ने अपील विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला को पेश करने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला ने ग्राम पंचायत तेजा की बेरी का प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 5.6.2017स्थगित कर दिया जो बिना शपथपत्र लिये जारी किया गया है तथा बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण सं.2 से 6 की अपील ही स्वीकार कर दी है, ऐसी स्थिति में विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला का आदेश दिनांक 16.8.17 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला ने दिनांक 12.4.17 को उक्त आराजी के सीमांकन हेतु आदेश पारित किया था तथा 27.6.17 को अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस इमदाद भी चाही थी। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला का आदेश दिनांक 16.8.2017(क्रमांक / पंससा / पंचायत / 2017 / 1578–79) निरस्त करावे। इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं.2से 6 के वकील ने बहस में बताया कि ग्राम पंचायत तेजा की बेरी ने प्रस्ताव सं. 3दिनांक 4.5.17 व दिनांक 5.5.17 को आदेश गलत रूप से दिये है तथा नोटिस लेकर अप्रार्थीगण के मकानों पर कभी कोई तामील कुनिन्दा नही आया। अप्रार्थीगण ने नोटिसों की नकले सूचना के अधिकार के तहत् ग्राम पंचायत तेजा की बेरी से मांगने पर भी नही दी गई है। विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला को उक्त नकले दिलवाने हेतु प्रार्थनापत्र –अपील पेश की जिस पर विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत तेजा की बेरी को इस हेतु लिखा। प्रस्ताव सं.5 / 5.6.17 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा प्रशासन व स्थापना स्थाई समिति में अपील लगवाने पर प्रस्ताव सं.5 दिनांक 5.6.2017 की पालना स्थगित करने की अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रिम आदेश तक लगाने का आदेश क्रमांक / पंससा / पंचायत / 2017 / 1578–79दिनांक16.8.17 सही दिया गया है। राजनैतिक द्वेष से अप्रार्थीगण के आबादी भूमि के निवास व निर्माण को हटाना चाहते है। दुकान में विद्युत कनेक्शन लेने हेतु सरपंच,ग्राम पंचायत तेजा की बेरी ने सन् 2016 में नक्शा प्रमाणित किया है व दिनांक 6.10.16 अनापति प्रमाणपत्र जारी किया है। पंचायत समिति के आदेश के विरूद्ध अपील जिला परिषद् में करने के प्रावधान है, रिवीजन नही? पंचायत समिति सायला के अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध रिवीजन नही की जा सकती है, अतः प्रार्थी का पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र खारिज करावे। अप्रार्थी सं.1 के वकील ने बताया कि पंचायत समिति सायला के आदेश के विरूद्ध धारा 61 राज. पंचायत एक्ट में अपील जिला परिषद् में करने का प्रावधान है। यह निगरानी इस न्यायालय को की गई है जो मेन्टनेबल नही होने से निगरानी खारिज करावे।

4 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। कार्यालय विकास अधिकारी,पंचायत रामिति सायला के आदेश कमांक पंससा / पंचायत / 2017 / 1578–79 दिनांक 16.8.2017 के अनुसार ग्राम पंचायत तेजा की बेरी के प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 5.6.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति,पंचायत समिति सायला में धारा 61 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अपील कर स्थगन आदेश चाहने पर विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला ने अस्थाई स्थगन आदेश जारी किया गया है कि आगामी आदेश तक उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटवाने से सबंधित किसी भी प्रकार की वांछित कार्यवाही नही की जावे। हमने उक्त आदेश से सबंधित रैकार्ड का अवलोकन किया गया। विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला की पत्रावली में प्रधान एवं अध्यक्ष, प्रशासन एवं स्थापना समिति ,पंचायत समिति को दिनांक 14.8.2017को गफूरखां ने एक प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसे अपील माना गया है जिसके साथ शपथपत्र नही है, न ही किसी प्रकार का सम्मन व रेस्पोडेन्ट जितने है उतनी अपील की अतिरिक्त प्रतिया पेश नही की गई है जिसके मुकद्मा नम्बर 1 / 2017 फाईल कंवर पर अंकित है लेकिन आदेश आदि में कोई मुकद्मा सं.1 / 2017 अंकित नही है,उक्त अपील गफूरखां ने किसके विरूद्ध पेश की गई है तथा किस धारा में यह अपील पेश की है,अपील प्रार्थनापत्र में अंकित नही है,रेस्पोडेन्ट कौन कौन है ,उनको अपील में तलब किया गया है या नही,?अपील में रेस्पोडेन्ट जो भी हो उनको सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। अपील पेश होने के बाद उसी दिन प्रधान द्वारा आज ही स्थगन जारी का आदेश पत्रावली पर दिया गया है ,उसी दिन विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला को प्रस्तुत करने पर विकास अधिकारी ने आदेश दिया कि प्रधान के निर्देशो की पालना में स्थगन आदेश जारी किया जावे। दिनांक 16.8. 2017 को विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला द्वारा अपील स्वीकार कर आगामी आदेश तक अतिक्रमण हटवाने से सबंधित किसी प्रकार की वांछित कार्यवाही नही करने का स्थगन आदेश जारी किया गया है। अपील में अपीलांट को कोई तारीख पेशीये नही दी गई है। अपील में विकास अधिकारी,पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचाथत तेजा की बेरी के प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 5.6.2017 जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है,के सबंध में कोई निर्णय पारित करना नही पाया गया,केवल पत्रांक / पंससा / पंचायत / 2017 / 1578–79 दिनांक 16.8.2017 से अस्थाई स्थगन आदेश जारी किया गया है कि आगामी आदेश तक उक्त भूमि का अतिक्रमण हटवाने में किसी प्रकार की कार्यवाही नही

करे तथा पत्रांक / पंससा / पंचायत / 2017 / 1740 दिनांक 13.9.2017 में प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति सायला का बैठक दिनांक 13.9.2017 का बैठक कार्यवाही विवरण अंकित है तथा रेकर्ड पेश करने हेतु ग्राग पंचायत तेजा की बेरी को व आवश्यक कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी को निर्देश देने का अंकित है।

मिसल में आदेशिका दिनांक 14.8.2017 में लिपिक द्वारा अपील आगामी प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक में रखी जाने बाबत् आदेशार्थ प्रस्तुत की है जिस पर विकास अधिकारी ने प्रधान को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है तथा प्रधान ने आज ही स्थगन आदेश जारी का आदेश दिया है। दिनांक 14.8.2017को लिपिक द्वारा पत्रावली आदेशार्थ हेतु विकास अधिकारी सायला को प्रस्तुत करने पर विकास अधिकारी ने प्रधान के निर्देशो की पालना में स्थगन आदेश जारी करने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार दिनांक 13.9.2017 को विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला ने ग्रामसेवक को रैकार्ड पंचायत समिति में पेश करने हेतु आदेश दिया है। पंचायत समिति सायला का बैठक कार्यवाही रजिस्टर (वर्ष 2015 से)में दिनांक 14.8.2017 को बैठक न होकर उससे 10 दिन पूर्व दिनांक 4.8.2017 को बैठक हुई है जिसमें ग्राम पंचायत तेजा की बेरी के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का अवश्य अंकित था जो पैरा पूर्ण रूप से कांटा जाकर उस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला के हस्ताक्षर अंकित है। दिनांक 14.8. 2017को कोई बैठक नही हुई है व दिनांक 13.9.2014 बैठक में उक्त अपील पत्रावली पेश हुई है जिसमें प्रस्ताव सं. 2 द्वारा ग्रामसेवक को रैकार्ड पेश करने बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी को निर्देश दिये जाने का प्रस्ताव अंकित हैं ,इस प्रकार अपील में पक्षकारान् को सुनवाई हेतु तारीख पेशिये नही दी गई है।

ग्राम पंचायत तेजा की बेरी के आदेश दिनांक 5.6.2017 प्रस्ताव सं. 5 के विरूद्ध,प्रशासन एवं स्थापना समिति,पंचायत समिति सायला में एक अपील दिनांक 14.8.2017 को गफूरखां द्वारा पेश की गई है जो तीस दिन में यानि दिनांक 5.7.2017 तक पेश करनी चाहिये थी लेकिन गफूरखां द्वारा दिनांक 14.8.2017 को पेश की गई है जो म्याद बाहर पेश की गई है जिसके साथ अपीलांट का कोई शपथपत्र पेश नही किया है और न ही देरी के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र ही पेश किया है लेकिन विकास अधिकारी पं.स.सायला द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र (अपील) को स्वीकार कर आगामी आदेश तक स्थगन

आदेश जारी किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत तेजा की बेरी के प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 5.6.2017 के विरूद्ध कोई निर्णय पारित नही किया गया है। ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध पंचायत समिति की स्थाई समिति मे अपील पेश करने का अवश्य प्रावधान है तथा पंचायत समिति के आदेश के विरूद्ध अपील जिला परिषद् में करने का प्रावधान है लेकिन धारा 97 राज.पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत् राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस न्यायालय में निगरानी पेश की जा सकती है। अवैधानिकता दुरूस्त करने हेतु पुनरीक्षण की व्याप्ति अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। स्थाई समिति,पंचायत समिति सायला द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग नही है,समस्त तथ्यों,सबूतो,दस्तावेजों पर विवेचन आदेश में किया जाना आवश्यक होता है जो सथाई समिति ने नही किया है जिससे पंचायत समिति का आदेश विधिसम्मत् नही है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी की निगरानी रिमाण्ड योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा पंचायत समिति सायला की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.8.2017के विरूद्ध प्रस्तुत प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। स्थाई समिति,पंचायत समिति सायला का आदेश दिनांक 16.8.2017 (क्रमांक/ पंससा/ पंचायत/ 2017/ 1578–79)निरस्त किया जाता है व प्रकरण प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति,कार्यालय विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि पक्षकारान् को तलब कर, सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर नियमानुसार निर्णय में उल्लेखित विवेचन के आधार पर नये सिरे से कार्यवाही करे।पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर ,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 21.3.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर